राम कुमार बिश्नोई ने अपने एल. आर. बनाम हरियाणा राज्य के माध्यम से

1713

और एक और (हरसीमरान सिंह सेठी, जे.)

हरसीमरान सिंह सेठी से पहले, जे.

राम कुमार बिश्नोई ने अपने एल. आर. के माध्यम से-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता

2016 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 7647

10 अक्टूबर, 2022

हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति), नियम 2008 (इसके बाद '2008 नियम' के रूप में संदर्भित)-खंड 12 विसंगतियों को हल करता है। जहाँ वरिष्ठों को कनिष्ठों की तुलना में कम वेतन मिल रहा है। जो कानून के तहत अनुज्ञेय नहीं है-याचिकाकर्ता 2008 के नियमों के नियम 12 की अवधि में वेतन बढ़ाने का हकदार है। अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता को सरकार में सिविल इंजीनियरिंग में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से पॉलिटेक्निक 25.02.1992 पर। जब याचिकाकर्ता एक व्याख्याता के रूप में काम कर रहा था, तो प्रतिवादी-विभाग ने सिविल इंजीनियरिंग विभाग में वरिष्ठ व्याख्याता के पद का विज्ञापन करते हुए एक विज्ञापन जारी किया और याचिकाकर्ता ने उसी के लिए प्रतिस्पर्धा की और अंततः 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. No.7647 में याचिकाकर्ता के लिए सीधे वरिष्ठ व्याख्याता अनुराग गोयल, अधिवक्ता के रूप में भर्ती किया गया।

गुलफाना, अधिवक्ता, गुरिंदर पाल सिंह के लिए, अधिवक्ता, 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. <आई. डी. 1 में याचिकाकर्ता के लिए। राजेश गौर, एडिशनल। ए. जी, हरियाणा।

(2) इस आदेश के उद्देश्य के लिए, 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7647 से तथ्य लिए जा रहे हैं। (3) वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता की शिकायत है कि जिन कर्मचारियों को सिविल इंजीनियर में वरिष्ठ व्याख्याता के संवर्ग में उनकी सीधी भर्ती के बाद याचिकाकर्ता (मृत होने के बाद) के बाद पदोन्नत किया गया था, उन्हें वरिष्ठ व्याख्याता के संवर्ग में याचिकाकर्ता की तुलना में अधिक वेतन मिल रहा है, जो अनुमेय नहीं है। याचिकाकर्ता का दावा अधिसूचना दिनांक 30.12.2008 (अनुलग्नक पी-3) के खंड-12 के तहत याचिकाकर्ता को लाभ देने के लिए है ताकि आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा को मंजूरी दी जा सके।

2022(2)

1714

(4) याचिकाकर्ता को सरकार में सिविल इंजीनियरिंग में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से पॉलिटेक्निक 25.02.1992 पर। जब याचिकाकर्ता एक व्याख्याता के रूप में काम कर रहा था, तो प्रतिवादी-विभाग ने सिविल इंजीनियरिंग विभाग में वरिष्ठ व्याख्याता के पद का विज्ञापन करते हुए एक विज्ञापन जारी किया और याचिकाकर्ता ने उसी के लिए प्रतिस्पर्धा की और अंततः दिनांक 15.12.2004 के नियुक्ति पत्र के माध्यम से सीधे वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में भर्ती किया गया। (5) वर्ष 2008 में, उत्तरदाताओं ने हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति), नियम 2008 (इसके बाद '2008 नियम' के रूप में संदर्भित) जारी किए, जो डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.2006 से प्रभावी हुए। उक्त नियम बनाए गए थे ताकि उन कर्मचारियों को आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना के तहत उच्च वेतनमान का लाभ दिया जा सके, जो हालांकि पदोन्नति के लिए पात्र थे, लेकिन पदोन्नति के अवसरों की कमी के कारण उन्हें ऐसा नहीं मिल रहा था। उक्त नियम में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि एक वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कैसे तय किया जाना है, भले ही उक्त वरिष्ठ कर्मचारी को एसीपी के अनुदान के लिए 2008 के नियमों के तहत लाभ नहीं दिया गया हो और उसके कनिष्ठ को भी दिया गया हो। (6) याचिकाकर्ता के अनुसार, कुछ कर्मचारी, जो व्याख्याता के संवर्ग में काम कर रहे थे, उन्हें दिसंबर, 2004 में याचिकाकर्ता की उक्त पद पर सीधी भर्ती के बाद वरिष्ठ व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया। वर्ष 2011 में, उत्तरदाताओं ने तकनीकी शिक्षा विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित किया, जिसमें वरिष्ठ व्याख्याताओं के वेतनमान को दिनांकित 18.10.2011 (अनुलग्नक पी-4) के माध्यम से संशोधित किया गया और वरिष्ठ व्याख्याताओं को भी 6,11 और 14 साल की सेवा प्रदान करने के बाद एसीपी योजना के तहत उच्च वेतनमान दिया जाना था। उक्त वेतनमान वरिष्ठ व्याख्याताओं को व्याख्याताओं के पद पर प्रदान की गई उनकी सेवाओं की गणना करके भी दिया जाना था, उक्त पत्र दिनांक 18.10.2011 (अनुलग्नक पी-4) में दिए गए नोट को ध्यान में रखते हुए उक्त पत्र दिनांक 18.10.2011 को लागू करते समय। उक्त टिप्पणी के अनुसार, याचिकाकर्ता की सीधी नियुक्ति के बाद पदोन्नत होने वाले वरिष्ठ व्याख्याताओं को छह साल के बाद व्याख्याता के संवर्ग में प्रदान की गई उनकी सेवा को गिनते हुए उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया था और इसका शुद्ध परिणाम यह था कि हालांकि, याचिकाकर्ता वरिष्ठ व्याख्याता के संवर्ग में वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ था, लेकिन उसके कनिष्ठों को उच्च वेतनमान प्राप्त हो रहा था, दिनांकित 18.10.2011 (अनुलग्नक पी-4) के कार्यान्वयन से, जिसने याचिकाकर्ता की वरीयता में 2008 के नियमों में संशोधन किया था।

राम कुमार बिश्नोई की शिकायत उनके एल. आर. बनाम हरियाणा राज्य के माध्यम से

1715

और एक और (हरसीमरान सिंह सेठी, जे.)

(8) मैंने पक्षों के लिए विद्वान परामर्श सुना है और उनकी सक्षम सहायता के साथ रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। (9) वर्तमान याचिकाओं में एकमात्र सवाल जिसका जवाब देने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या एक वरिष्ठ कर्मचारी एसीपी नियमों के कार्यान्वयन से अपने कनिष्ठ की तुलना में कम वेतन प्राप्त कर सकता है और ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने पर क्या वरिष्ठ अपने वेतन में वृद्धि का दावा कर सकता है। (10) यह एक स्वीकृत स्थिति है कि 2008 के नियम डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.2006 से अस्तित्व में आए। 2008 के नियमों के प्रावधान याचिकाकर्ताओं पर भी स्वीकार्य/लागू होते हैं। इसके अलावा, 2008 के नियमों को उत्तरदाताओं द्वारा अधिसूचना/पत्र दिनांक 18.10.2011 के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा तकनीकी पद के वेतनमान को संशोधित किया गया था। हालांकि, ए. सी. पी. नियम, 2008 के तहत उच्च वेतन के लिए, वरिष्ठ व्याख्याता वरिष्ठ व्याख्याताओं के संवर्ग में छह साल की नियमित सेवा के बाद ही पात्र थे, लेकिन नियमित व्याख्याता के संवर्ग में भी तीन साल की नियमित संतोषजनक सेवा की गिनती के बाद वरिष्ठ व्याख्याताओं के संवर्ग में उच्च वेतनमान का लाभ देने के लिए अधिसूचना/दिनांक 1 में उल्लिखित नोट को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के कनिष्ठों को याचिकाकर्ता की अनदेखी करते हुए उच्च वेतन का लाभ दिया गया था। दिनांक 1 की अधिसूचना/पत्र के उक्त नोट को लागू करके, याचिकाकर्ताओं के कनिष्ठ, जिनके पास वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में छह साल की सेवा नहीं थी, उन्हें याचिकाकर्ताओं की वरीयता में उच्च वेतनमान दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप विसंगति हुई। एक व्याख्याता की सेवा का लाभ याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर नहीं दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं को सीधे वरिष्ठ व्याख्याताओं के रूप में भर्ती किया गया था और पदोन्नत नहीं किया गया था। इसका शुद्ध परिणाम यह है कि याचिकाकर्ताओं को अपने कनिष्ठों की तुलना में कम वेतन मिल रहा है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1716

प्रत्यर्थी-राज्य ने इस तरह की विसंगतियों को पकड़ा और इसलिए, 2008 के नियमों के खंड-12 के अनुसार, समाधान भी प्रदान किया गया था। 2008 के नियमों का प्रासंगिक खंड-12 निम्नानुसार हैः -

“12. कुछ मामलों में कदम बढ़ाने की स्वीकार्यताः - यदि सेवा नियमों में प्रत्यक्ष भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति के माध्यम से किसी पद को भरने का प्रावधान है या परिस्थितियां आवश्यक हैं, तो सीधे भर्ती किए गए वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी को वेतनमान और ग्रेड वेतन बढ़ाने का लाभ स्वीकार्य होगा, यदि उससे कनिष्ठ पदोन्नत सरकारी कर्मचारी एसीपी उन्नयन के लाभ के आधार पर उच्च वेतनमान और ग्रेड वेतन में वेतन प्राप्त कर रहा है। हालांकि, आगे बढ़ने का लाभ एक पदोन्नति प्राप्तकर्ता के लिए स्वीकार्य नहीं होगा यदि वह पहले ही अपने सेवा जीवन में इन नियमों के तहत प्रदान किए गए तीन वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर चुका है। ”

(12) विद्वान राज्य के वकील का यह तर्क कि 2008 के नियमों का खंड-12 केवल उन मामलों में लागू होता है, जहां एसीपी का कोई लाभ नहीं दिया जाना है और यह एक विशेष नियम है, जो याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होता है, सही नहीं है। नियम 12 विसंगतियों को हल करने के लिए निर्धारित किया गया है और वर्तमान मामला विसंगति का एक स्पष्ट मामला है, जहां वरिष्ठ को अपने कनिष्ठों की तुलना में कम वेतन मिल रहा है, जो कानून के तहत अनुमत नहीं है। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि खंड-12 केवल उस स्थिति में लागू होगा जब कर्मचारी उच्च वेतनमान के अनुदान के लिए 2008 के नियमों के तहत नहीं आता है। (13) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि याचिकाकर्ता वरिष्ठ व्याख्याताओं के संवर्ग में वरिष्ठ हैं, जिन्हें उनके कनिष्ठों को पदोन्नत करने से पहले सीधे नियुक्त किया गया था और याचिकाकर्ताओं की तुलना में उच्च वेतनमान प्राप्त करने वाले कनिष्ठों पर, इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को उनके एल. आर. बनाम हरियाणा राज्य के माध्यम से उस राम कुमार बिश्नोई के बराबर वेतन बढ़ाने का अधिकार है।

1717

और एक और (हरसीमरान सिंह सेठी, जे.)

(17) उपरोक्त शर्तों में याचिकाओं की अनुमति है। (18) इस आदेश की एक फोटोकॉपी किसी अन्य जुड़े मामले की फाइल पर रखी जाए। वीरेन जैन